अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RISHIKESH
राजभाषा प्रकोष्ठ

क्रं. सं. 126/रा. भा./एम्स_ऋषि/2024 दिनांक - 18.11.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय- राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए जांच बिन्दु बनाने के संबंध में।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित) के अधीन बने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के समुचित अनुपालन के लिए प्रभावी जांच बिंदु (चैक प्वाइंट) निर्धारित करें। अतः राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए निम्नलिखित जाँच बिंदु बनाए जाते हैं।

1. सामान्य आदेश (जनरल आर्डर) तथा अन्य कागज आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करनाः
2. सभी विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ को निदेश दिया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सामान्य आदेशों (जनरल आर्डर), अन्य कागज आदि जैसे नियमों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, समझौते / करार, निविदा, संविदा, प्रेस विज्ञप्तियों आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी देखें कि वे अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उत्तरदायी होगा।

[जांच बिंदु - संबंधित अधिकारी]

3. सभी विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ को निदेश दिए जाते हैं कि नियमावली, कोड, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य और गज़ट में प्रकाशित होने वाली सामग्री जैसे अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प तथा केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित कोड, मैनुअल फॉर्म आदि अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही प्रकाशित एवं उपलब्ध होने चाहिए।

[जांच बिंदु - संबंधित अधिकारी]

4. सभी विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ को निदेश दिए जाते हैं कि रजिस्टरों, फ़ाइलों आदि के शीर्षक एवं विषय द्विभाषी रूप में लिखे जाएं।

[जांच बिंदु - संबंधित अधिकारी]

5. 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदिः

(i) यह जिम्मेदारी भी पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की होगी कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों में सभी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र आदि अनिवार्य रूप से हिंदी में होने चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एम्स ऋषिकेश के सभी विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ अपना समस्त पत्राचार हिंदी में ही करें।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

ii) हिंदी में प्राप्त पत्रों, के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

(iii) 'क' क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

(iv) फाइलों पर कार्रवाई अधिकतर लिपिकीय संवर्ग से अनुभागों से शुरु होती है। सभी विभागाध्यक्षों से से आग्रह किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले तथा प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी 'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के मसौदे हिंदी में प्रस्तुत करें और फाइलों पर टिप्पणी अनिवार्य रूप से हिंदी में लिखें।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

(v) एम्स ऋषिकेश के अनुभागों में प्रयुक्त सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं। डायरी, डिस्पैच, फ़ाइल संचालन आदि के क्षेत्र-वार रजिस्टर तैयार किए जाएं।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

6. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाना:
एम्स ऋषिकेश के सभी विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ को सूचित किया जाता है कि राजभाषा नियम-1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाना अपेक्षित है। यदि किसी पत्र का उत्तर अपेक्षित न हो तो उन पत्रों की पावतियाँ भेजी जाएं। इस प्रकार से हिंदी पत्राचार में वृद्धि भी संभव है। इसके अलावा इस नियम के तहत किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हिंदी पत्रों के साथ-साथ यदि अंग्रेजी पत्र पर हिंदी में हस्ताक्षर हों तो उस पत्र का उत्तर भी 100% हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

7. हिंदी टंकण प्रशिक्षण:
8. राजभाषा प्रकोष्ठ सुनिश्चित करें कि जिन टंककों/लिपिकों / आशुलिपिकों को हिंदी टंकण का ज्ञान नहीं है अथवा प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है रोस्टर बनाकर एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जाए।

[जांच बिंदु- संबंधित अधिकारी]

9. विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में जिन कर्मचारियों को टिप्पण, आलेखन नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है, वे सभी अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करें।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

10. लिफाफों पर हिंदी में पते लिखनाः
एम्स ऋषिकेश का केंद्रीय डिस्पैच यह सुनिश्चित करें कि 'क' क्षेत्र अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रः और 'ख' क्षेत्र अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाए और इसके अलावा देश के शेष बचे राज्यों अर्थात 'ग' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे। यदि लिफाफे अनुभागों द्वारा बनाए जाते हैं तो उन पर पते लिखने की जिम्मेदारी अनुभागों की होगी ।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

11. रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, साइन बोर्ड, बैनर आदि द्विभाषी रूप में बनानाः
एम्स ऋषिकेश के सभी विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय की सभी रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, साइन बोर्ड, सील, पत्र शीर्ष (लेटर हेड),मानक मसौदे अनिवार्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी अर्थात द्विभाषी रूप में हों। संबंधित अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि ये सब द्विभाषी रुप में हों। उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति इस मामले को बेहद गंभीरता से लेती है !

[जांच बिंदु - संबंधित अधिकारी]

12. सेवा पंजियों (सर्विस बुक) में प्रविष्टयां:
एम्स ऋषिकेश में कार्यरत सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पंजियों में हिंदी में प्रविष्टियां करने की जिम्मेदारी संबंधित अनुभागों की और उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी ।

[जांच बिंदु संबंधित अधिकारी]

13. विभागीय बैठकों/सम्मेलनों / संगोष्ठियों के कार्यवृत्त / कार्यसूची हिंदी या द्विभाषी रूप में तैयार करना :
सभी विभागीय बैठकों / सम्मेलनों / संगोष्ठियों की कार्यवृत्त / कार्यसूची नियमानुसार केवल हिंदी में जारी किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए कार्यालय और बैठक के सदस्य सचिव को जाँच - बिंदु निर्धारित किया जाता है।

[जांच बिंदु-संबंधित अधिकारी]

उपर्युक्त के दृष्टिगत एम्स ऋषिकेश के सभी विभाग / अनुभाग / प्रकोष्ठ को पुनः निदेश दिए जाते हैं कि उल्लिखित जांच बिंदुओं का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

मीनू सिंह

प्रो. मीनू सिंह
कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ
एम्स ऋषिकेश